

20.12.23

पत्रावली पेश हुई।
 उक्तपत्र अधिवक्ता अनुपस्थित।
 पत्रावली में प्रकाश पेंची हेतु उक्तपत्र
 अधिवक्ता एवं पञ्चकारण को न्यायालय सत्र
 में रुक-रुककर आवाजे लगाई जाते के
 बावजूद कोई उपस्थित नहीं।

यूँकि पत्रावली 2 वर्ष से अधिक सत्र
 से प्रार्थना पत्र के जवाब में लम्बित है तथा
 कोई प्रकाश पेंची एवं कार्रवाई नहीं हुई
 है व अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है।

अतः पत्रावली में कोई प्रकाश पेंची
 नहीं होने तथा उक्तपत्र अधिवक्ता के अनुपस्थित
 रहने पर उक्त पत्रावली इसी स्टेज पर
 अदम पेंची में खारिज की जाती है।

पत्रावली दायित्व दफ्तर हो।

21/